


**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो.1527—पीबीआर / 13

जिला—विदिशा

नं तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-3-15	<p>आवेदक की ओर से श्री प्रदीप के. श्रीवास्तव, अभि. उप.   उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया।</p> <p>आवेदक अभि. द्वारा रेस्टोरेशन के संबंध में बताये गये कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्र.क. निग.881-एक/11 पुनः नम्बर पर लिया जाता है। यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>  <p>सदस्य</p>	



नियंत्रित

## न्यायालय : राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

Rego 1527-PRM/3 प्रकरण क्रं.

/2013 रेस्टोरेशन - रेप्या 1527 PRM/

माननीय शासन संघर्ष  
विरुद्ध आवेदन  
प्रस्तुत  
द्वारा आज दि 24-4-13 को  
प्रस्तुत

कलर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल भ.प्र. ग्वालियर

ब्रह्मानंद तिवारी पुत्र  
श्री सुखलाल तिवारी  
आयु- 60 वर्ष,  
निवासी-ग्राम-मेहलुआ चौराहा,  
तहसील-कुरवाई, जिला-विदिशा  
(म0 प्र0)

- आवेदक

### विरुद्ध

- म0 प्र0 शासन द्वारा-कलेक्टर, जिला-विदिशा
- ओमप्रकाश पुत्र श्री बाबुलाल, निवासी-मेहलुआ तहसील-कुरवाई, जिला-विदिशा (म0 प्र0)

- अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35(3) म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959  
वास्ते प्रकरण क्रमांक ४४१-१/2011 निगरानी ब्रह्मानंद  
तिवारी विरुद्ध म0 प्र0 शासन आदि पुनः नम्बर पर लिये जाने  
हेतु आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नलिखित है:-



यहकि, प्रकरण क्रमांक 888-1/2011 निगरानी ब्रह्मानंद तिवारी विरुद्ध म0 प्र0 शासन आदि माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 04-01-2013 तर्क हेतु नियत था, परंतु माननीय न्यायालय ने उक्त